

**उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ****दांडिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या.- 4749/2026**

राजन एवं अन्य

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव गृह उत्तर प्रदेश, लखनऊ

.....प्रतिवादी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

:- मनोज कुमार निषाद

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता

:- शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या. - 12**माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह**

आवेदकों की ओर से विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

प्रस्तुत जमानत आवेदन आवेदकों की ओर से थाना मनकापुर, जनपद गोण्डा में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 205/2026, उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 3(1) के अन्तर्गत विचारण के दौरान आवेदकों को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक निर्दोष हैं और उन्हें वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक संख्या 1 के विरुद्ध गैंग चार्ट में चार मामले तथा आवेदक संख्या 2 के विरुद्ध गैंग चार्ट में तीन मामले दर्शाए गए हैं, जिनमें उन्हें जमानत पर रिहा किया जा चुका है तथा उक्त जमानत आदेशों की प्रतियाँ जमानत आवेदन के संलग्नक संख्या 3, 4, 5 एवं 6 के रूप में संलग्न की गई हैं। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि गैंग चार्ट में उल्लिखित मामलों के अतिरिक्त आवेदकों का कोई अन्य आपराधिक

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

इतिहास नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक किसी भी समाज विरोधी गतिविधि में संलिप्त नहीं हैं तथा वे न तो किसी गैंग के सदस्य हैं और न ही किसी गैंग के नेता हैं तथा वे दिनांक 22.5.2026 से ही कारागार में निरुद्ध हैं। यदि उन्हें जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे तथा विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेंगे।

इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, किन्तु वह इस तथ्य से इंकार नहीं कर सके कि आवेदकों को उक्त मामलों में जमानत पर रिहा किया जा चुका है तथा उपर्युक्त रूप से स्पष्ट किए गए मामलों के अतिरिक्त आवेदकों का कोई अन्य आपराधिक इतिहास नहीं है।

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने तथा अभिलेख का अवलोकन करने के उपरान्त यह पाया जाता है कि गैंग चार्ट में उल्लिखित मामलों में आवेदकों को जमानत पर रिहा किया जा चुका है तथा उपर्युक्त रूप से स्पष्ट किए गए मामलों के अतिरिक्त उनका कोई अन्य आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है। इस तथ्य के साथ कि वे दिनांक 22.5.2026 से कारागार में निरुद्ध हैं, इस प्रकार, मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, मेरी राय में यह जमानत प्रदान किए जाने का उपयुक्त प्रकरण है।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों, आरोप की प्रकृति एवं दोषसिद्धि की स्थिति में होने वाले दण्ड की गंभीरता, समर्थक साक्ष्य की प्रकृति, आरोप के समर्थन में प्रथमदृष्टया न्यायालय की संतुष्टि, दण्ड के सुधारात्मक सिद्धान्त तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक अधिदेश को ध्यान में रखते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरी राय में यह जमानत प्रदान किए जाने का उपयुक्त प्रकरण है।

उपर्युक्त अपराध में संलिप्त आवेदक **राजन एवं कन्हैया उर्फ कन्हैयालाल** को व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर, निम्नवत् शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

- (1) आवेदक विवेचना अथवा विचारण के दौरान अभियोजन साक्ष्य के साथ साक्षियों को डराकर /दबाव डालकर अथवा अन्यथा किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करेगा;
- (2) आवेदक इस आशय का वचन-पत्र प्रस्तुत करेगा कि जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों, तब साक्ष्य के लिए नियत तिथियों पर वह किसी स्थगन की मांग नहीं करेगा। वह प्रत्येक नियत तिथि पर स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

पर्याप्त कारण के बिना उसके अनुपस्थित रहने की स्थिति में विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 229-क के अन्तर्गत कार्यवाही कर सकता है;

(3) आवेदक (i) मामले की कार्यवाही प्रारम्भ किए जाने, (ii) आरोप विरचित किए जाने तथा (iii) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अन्तर्गत बयान दर्ज किए जाने के लिए नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा; तथा

(4) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के अन्तर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है तथा ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि पर आवेदक न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 174-क के अन्तर्गत विधि के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ करेगा।

जमानतदारों की पहचान, स्थिति एवं निवास संबंधी प्रमाण का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाएगा तथा उपर्युक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को जमानत निरस्त करने तथा आवेदक को जेल भेजने की स्वतंत्रता होगी।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियाँ केवल इस जमानत आवेदन के निस्तारण तक ही सीमित हैं तथा इन्हें मामले के गुण-दोष पर किसी प्रकार की अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा।

(न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह)

जून 30, 2026

राम मूर्ति

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।